मात्र चार साल में पेपर लीक की 16-17 घटनाएं, आखिर दोषी कौन है?

विधानसभा में विपक्षी दलों के और सदन के बाहर अपनों के निशाने पर गहलोत सरकार

- मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पेपर लीक मामले में सरकारी अधिकारियों व मंत्रियों को क्लीन चिट देने का हर ओर से भारी विरोध हो रहा है।
- पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह ही चुके हैं कि, जब कोई दोषी नहीं तो पेपर तिजोरी से बाहर कैसे आए। कांग्रेस के ही हरीश चौधरी ने भी कह दिया है कि, इन मामलों की सी.बी.आई. जांच कराई जाए।
- भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के सामने कई सबूत रख दिए और अब वे सड़कों पर भी उतर आए हैं।
- पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने से युवा वर्ग में भारी नाराजगी है, जो चुनावी वर्ष में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।

जयपुर, 24 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान में पेपर लीक और नकल के प्रकरण को लेकर सरकार पूरी तरह से घिर गई है। विधानसभा में भाजपा और आरएलपी सदस्यों ने बजट सत्र शुरू होने के साथ ही सरकार की नाक में दम कर दिया है। वहीं सड़क पर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। ऐसे में चुनावी वर्ष में सरकार के लिए पेपर लीक कांड से बाहर निकलना सबसे मुश्किल काम हो गया है। पिछले दिनों सरकार के चिंतन शिविर में मंत्रियों तक ने खुलकर कहा था कि पेपर लीक का मुद्दा सरकार के सारे कामों पर पानी फेर देगा।

दरअसल राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल के दौरान ही पेपर लीक की 16 से 17 घटनाएं सामने आई हैं। ना केवल युवाओं में भारी रोष है, बल्कि विपक्षी दलों को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। एक के बाद एक पेपर लीक होने और इस वजह से परीक्षाएं रद्द करने के बावजूद भी सरकार इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, उलटे अधिकारियों को क्लीनचिट देने और विपक्ष को गलत ठहराने में जुटी हुई है।

खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक में कोई नेता और अधिकारी शामिल नहीं है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस पर आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए कहा, जब कोई नेता या अधिकारी शामिल नहीं है, तो पेपर तिजोरी से बाहर कैसे आए। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, जो पहले से ही मुख्यमंत्री से कई मसलों पर नाराजगी जताते रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। यह कहकर एक तरह से उन्होंने राजस्थान की, जो एजेंसियां जांच कर रही है उन पर अविश्वास जता दिया है।

पेपर लीक और नकल के मामलों में अब तक भाजपा नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आर.एल.पी.) नेता हनुमान बेनीवाल ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जब सचिन पायलट ने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो सरकार की मुश्किले बढ़ गईं। दरअसल सरकार की समस्या यह है कि इस चुनावी वर्ष में बजट सत्र के बाद सरकार को चुनावी तैयारियों में उतरना है और इधर एक के बाद एक हुई 16 से 17 पेपर लीक घटनाएं होने के बाद युवाओं की सरकार से भारी नाराजगी है।

मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी और नेता पेपर लीक प्रकरण में शामिल नहीं है। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई शामिल ही नहीं है तो रीट पेपर लीक मामले में डीपी जारोली को बर्खास्त क्यों किया गया और अगर दोषी होने के लिए बर्खास्त किया गया तो उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

सदन में विपक्ष पेपर लीक कांड पर हंगामा कर रहा है और सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहा है जिसे सरकार ने ठुकरा दिया है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार सदन में तो किसी भी तरह से विपक्ष को जवाब देकर चुप करा सकती है, लेकिन सदन के बाहर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक के बाद एक सबूत सरकार के सामने रख रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने दौसा से लेकर जयपुर तक पेपर लीक प्रकरण मामले को लेकर प्रदर्शन किया। जिसमें भारी भीड़ स्पष्ट है कि इस मसले को लेकर चुनावी वर्ष में ना तो भाजपा चुप्पी साधने वाली है और ना आरएलपी और अन्य दल। सरकार के बचाव में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि केंद्र की परीक्षाओं और भाजपा सरकार के समय भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन इससे यह सरकार पेपर लीक की 16-17 घटनाओं से पल्ला नहीं झाड़ सकती।

पिछले दिनों पेपर लीक प्रकरण के आरोपी के कोचिंग सेंटर और मकान पर सरकार ने भारी तोड़फोड़ की, लेकिन पेपर लीक के मुख्य आरोपियों को सरकार की नाक के नीचे से फरार हो जाना बड़े सवाल खड़े करता है। राज्य की जांच एजेंसिया अब तक इन आरोपियों तक पहुंचने में असफल रही हैं। इस सबके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि उन्होंने तीन लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, इसलिए भाजपा को यह बात रास नहीं आ रही है।

दूसरी ओर एक के बाद एक युवा संगठनों की ओर से सड़कों पर किया जाने वाला प्रदर्शन बता रहा है कि सरकार की ओर से युवाओं से किए वादे आज भी अधूरे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवाओं के निशाने पर आ चुकी राज्य सरकार किस तरह से अपना दामन बचाती है।

'पेपर लीक मामले में सी.एम. द्वारा अफसरों को क्लीन चिट देना गलत'

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यशैली पर सवाल उठाए

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 24 जनवरी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अधिकारियों को क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि जांच पूरी हुए बिना ही अधिकारियों को क्लीन चिट देना गलत है। पेपर लीक होना बहुत बड़ा विषय है। किसी को भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल जांच जारी है।

- हरीश चौधरी ने कहा कि "पेपर लीक होना बहुत बड़ा विषय है। बिना जांच पूरी हुए किसी को भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए।"

हरीश चौधरी ने मंगलवार को सदन के भीतर भी विपक्ष द्वारा उठाई जा रही पेपरलीक की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि पेपरलीक गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। पेपरलीक काण्ड में कोई भी दोषी हो, चाहे सरकारी कर्माचरी, उद्योगपति, अधिकारी या सामान्य नागरिक। सरकार को उसकी पृष्ठभूमि को देखे बिना कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पेपरलीक मुख्य मुद्दा है, लेकिन उस पर बहस ना होना ठीक नहीं है।

हमें विचार करना होगा कि परीक्षा पद्धति कैसे मजबूत बने, जिसमें पेपर लीक न हो। जिन लोगों ने पेपर आउट किया, उनमें भी सिर्फ चंद लोग हाथ लगे हैं, मुख्य आरोपी और उनके संरक्षकों को पकड़ने की जरूरत है।

छात्र संगठन बी.बी.सी. की डॉक्युमैंटरी की पूरे केरल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह एक राष्ट्र विरोधी कदम है तथा मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देकर स्क्रीनिंग रोकनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब होगा विदेशी ताकतों को भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने का मौका देना।

मुरलीधरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले उन आरोपों को खारिज कर चुका है जो डॉक्युमैन्ट्री में लगाए गए है। इन आरोपों का फिर से सार्वजनिक बहस में लाना सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने जैसे यह नफरत को बढ़ावा देगा।" केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं।

केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से हस्तक्षेप करने और स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह कदम "राजद्रोह" के समान है और डॉक्युमैंट्री का प्रदर्शन देश की एकता व अखंडता को खतरे में डाल रहे विदेशी प्रयासों का बढ़ावा देना होगा। केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बी.बी.सी. "डॉक्युमैंट्री" "दुष्प्रचार" कह कर खारिज कर दिया और कहा कि बी.बी.सी. ने भारत में यह डॉक्युमैंट्री उपलब्ध नहीं करवाई थी, लेकिन यू-ट्यूब पर यह अवश्य कुछ समय के लिए उपलब्ध थी।

'हम चलते...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की। कई बार उन्हें जांच के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, लेकिन निर्भिक राजेन्द्र शेखर अपने कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नापंसद करते थे।

बोफोर्स मामला जब अपने परवान पर था, उस समय राजेन्द्र शेखर सी.बी.आई. के प्रमुख या डायरेक्टर थे। कांग्रेस सरकार के राज में राजीव गांधी पर बोफोर्स निर्माता से 64 करोड़ रू. की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। कैबिनेट सैक्रेटरी विनोद पाण्डे, जो राजस्थान काडर के ही आई.ए.एस. थे ने एक उच्च पदस्थ बैठक बुलाई। रक्षा सचिव नरेश चन्द्र, जो राजस्थान काडर के ही आई.ए.एस. थे, और एक और सचिव पी. दण्डपाणी तथा भूरेलाल और राजेन्द्र शेखर के साथ गहन मंथन कर रहे थे।

इस बैठक में पूरे मामले को संदेहपूर्ण माना गया और बोफोर्स पर भारत सरकार से गैर वाबिज ढंग से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा।

तब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि सरकार इस रिश्वतखोरी में जो कोई भी लिप्त रहा हो, वह चाहे कितना बड़ा भी क्यों न हो, को नहीं छोड़ेगी। इन सब घोषणाओं से कांग्रेस, जो विपक्ष में थी, हिल चुकी थी।

जब बोफोर्स काण्ड की जांच सी.बी.आई. ने शुरू ही की थी तब मोहन कातरे सी.बी.आई. के निदेशक थे। कातरे पर जनता दल की सरकार का भरोसा नहीं था। कातरे को हटाकर राजेन्द्र शेखर को निदेशक लगाया गया था।

बोफोर्स का विवाद लम्बा चला और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोप-प्रत्यारोपण के बीच ही समय निकल गया। वी.पी. सिंह ने जिस मजबूती से मामला उठाया उसे कोई दिशा या मंजिल नहीं दिखा सके। इस बीच उनकी सरकार गिर गई और चन्द्रशेखर के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार बन गई। चन्द्रशेखर ने कुर्सी संभालते ही राजेन्द्र शेखर और एक वरिष्ठ आई.ए.एस. राजीव लोचन मिश्रा, जो राजस्थान से ही थे, को वापस राजस्थान भेजा। तब भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और वह भी इन दोनों अधिकारियों को वापस राज्य में ही लाना चाहते थे।

राजेन्द्र शेखर खुशी-खुशी सी.बी.आई. का पद छोड़ आए। राजीव लोचन भी वापस आ गए। राजेन्द्र शेखर सी.बी.आई. जैसे महत्वपूर्ण पद के निदेशक रह चुकने के बाद राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बन गए। लेकिन उन्होंने कभी इसे पदावनति नहीं माना।

पूर्व जन संपर्क अधिकारी लक्ष्मण बोलिया, जो लम्बे समय पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति में रहे स्वर्गीय शेखर को याद करते हुए कहते हैं: शेखर साहब नवाचार पसंद करते थे। सन्1992 में उन्हीं की सोच के कारण राजस्थान पुलिस दिवस की शुरूआत हुई और तत्कालीन राज्यपाल डॉ. चेन्ना रेड्डी के हाथों पुलिस को सशस्त्र सेना की ही तरह ध्वज दिलाया गया। इससे पूर्व, 30 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान पुलिस को कलर (ध्वज) भेंट किया था।

शेखर साहब ने पुलिस का ध्येय वाक्य भी बदलकर "सेवार्थ कटिबद्धता" रखा और राजस्थान पुलिस पर एक फिल्म "सेवार्थ कटिबद्धता" बनवाई।

लक्ष्मण बोलिया बताते हैं कि, स्वर्गीय शेखर ने अपने जीवन संघर्ष पर, "नॉट ए लाइसेंस टु किल" डिजाइनिंग मोमेन्ट्स, अनकेज्ड पैरट, मेमोरीज़ आर मेड ऑफ दिस तथा हिन्दी में कल, आज और कल पुस्तकें लिखीं।

उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर "और जाते जाते" उप शीर्षक में प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार के गाये गीत "चलते-चलते" का जिक्र करते हुए अभिलाषा व्यक्त की थी कि, उनकी मृत्यु पसंदीदा कार्य स्थली पर ऐसे ही चलते-चलते हो जाए। उन्होंने महात्मा गांधी की बिड़ला हाउस में प्रार्थना करते हुए और पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. कलाम की इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भाषण देते हुए मृत्यु का हवाला देते हुए लिखा, "वे दोनों महान आत्माएं थीं, लेकिन हमारे जैसे सामान्य प्राणियों के लिए अनुमानतः चुनिन्दा यही हो सकता है कि, हम चलते-चलते ही चल बसें।"

राजेन्द्र शेखर के निधन पर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने शोक व्यक्त किया है।

मेहता ने कहा कि, स्वर्गीय राजेन्द्र शेखर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) की कार्यकारिणी के सदस्य थे और वह दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मेहता ने कहा कि, कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उनके सुझाव हमेशा अमूल्य होते थे। एक योग्य लेखक भी थे।

मेहता ने कहा कि, पुलिस में पूरी निष्ठा और ईमानदारी दिखाते हुए उन्होंने अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य किया और इस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। मेहता ने कहा कि, पुलिस सेवा ने एक निष्ठावान व्यक्ति खो दिया है, वे आदर्श पुरूष थे।

दिल्ली के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की नई तारीख तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। नगर निगम द्वारा प्रथम मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव का यह दूसरा प्रयास था। आम आदमी पार्टी (आप), जिसे चुनाव में बहुमत मिला था, ने शैली ओबरॉय तथा आले मोहम्मद इकबाल को क्रमशः मेयर तथा डिप्टी मेयर के पद के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था। भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर तथा कमल बागरी डिप्टी मेयर के पद के लिए मैदान में हैं। छः जनवरी को इसी तरह के हंगामे के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा था। मार्शल्स जब स्थिति को काबू करने में असफल रहे तो पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

एक वीडियो शेयर करते हुए, आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा: "आज भाजपा डंडे लेकर नगर निगम पर कब्जा करने आई थी। क्या आपने किसी सदन में ऐसा देखा है?" उन्होंने कहा, "भाजपा तीनों नगर निगमों में सत्ता में थी, गत चुनावों में आप से हार गई थी, फिर भी वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है।"

राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से दिग्विजय सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"इसलिये, मेरा मानना है कि बातचीत या संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर बातचीत में ऐसे भी लोग होते ही हैं, जो हास्यास्पद बात कह देते हैं तथा इस मामले में मुझे बड़ा दुख है कि मुझे एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है कि उन्होंने एक बेतुकी बात कही है।"

उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (आज़ाद) के साथ चले गये 90 प्रतिशत लोग कांग्रेस में वापस आ गये है तथा आज़ाद अकेले रह गये हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन पर किये गये प्रहार को लेकर राहुल ने कहा कि वे ऐसा नहीं मानते कि राजनाथ जी अपने निजी विचार व्यक्त कर रहे थे। "वे एक ऐसी पार्टी में हैं, जहाँ शीर्ष नेतृत्व उन्हें बताता है कि उन्हें क्या कहना है। मेरे ख्याल से, उनकी कोई पसंद-नापसंद नहीं है। उनका बयान उन आदेशों का परिणाम है, जो भाजपा का सर्वोच्च नेतृत्व उन्हें देता है।" राहुल, राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत फैलाना है तथा कांग्रेस विदेश में भी भारत को बदनाम कर रही है।

राहुल ने कहा कि उनकी यात्रा का लक्ष्य राष्ट्र को संगठित करना तथा द्वेष के उस माहौल को समाप्त करना है, जो भाजपा और आर.एस.एस. ने इस देश में तथा जम्मू-कश्मीर में भी फैलाया है। उन्होंने सवाल किया कि पूरे देश में गई यह यात्रा, जो देश की जनता को एक कर रही है तथा नजदीक ला रही है, भारत के हितों को नुकसान कैसे पहुँचा सकती है।

राहुल ने कहा, "मैं देख सकता हूँ कि राजनाथ सिंह जी की पार्टी द्वारा फैलाई जा रही नफरत और हिंसा देश को किस तरह नुकसान पहुँचा रही है। मैं देख सकता हूँ कि भारत को धर्मों में, जातियों में, लिंगों में बाँटना देश को किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है। अगर आप विदेशों के सारे अखबारों पर नजर डालें तथा आपको इस काम के लिये कुछ समय देना ही चाहिये, तो आप पायेंगे कि वे सब यह प्रश्न कर रहे हैं कि भारत के परम्परागत मूल्यों को क्या हो गया है, भारत के भाईचारे को क्या हो गया है, मौजूदा सरकार के दौर में भारत की ताकत को क्या हो गया है। इस प्रकार (भारत की) बदनामी तो भाजपा और आर.एस.एस. की विचारधारा कर रही है।" उन्होंने कहा कि महँगाई आसमान छू रही है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि देश का धन मुट्ठीभर लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। उन्होंने माँग की कि जम्मू-कश्मीर को यथाशीघ्र राज्य का दर्जा दिया जाए तथा राज्य विधानसभा बहाल की जाये, जिससे जनता को एक प्रखर लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः प्राप्त हो सके।

'पॉक्सो के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वह केस कब से पेंडिंग है।

एक साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो के पेंडिंग केसों की फाइल पर येलो फ्लैग लगाना होगा और फाइल के राइट हैंड साइड येलो फ्लैग केस लिखना होगा। वहीं दो साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो केस की फाइल पर ऑरेंज फ्लैग लगाना होगा और उसकी फाइल पर भी ऑरेंज फ्लैग केस लिखना होगा। जबकि तीन साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो केसों में लाल फ्लैग लगाना होगा और फाइल पर रेड फ्लैग केस लिखा जाएगा। इसके अलावा पॉक्सो कोर्ट को पेंडिंग केस के पूरे विवरण के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने प्रदेश के सभी जिला व सेशन न्यायाधीश को कहा है कि, वे इस आदेश की जानकारी सभी पॉक्सो कोर्ट को दें। हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि जो केस ज्यादा समय से लंबित हैं, उनका निस्तारण जल्द करने पर ध्यान देना जरूरी है।

दुर्गापुरा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसमें से करीब 71 हजार रुपए जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने अवैध तरीके से इस राशि को पिछले सत्र की फीस में समायोजित कर लिया। छात्रा की ओर से प्रताड़ना की जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता के पिता उसके स्कूल गए, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी भी बेइज्जती की और रिकवरी एजेंट की तरह व्यवहार करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया। वहीं प्रिंसिपल की शिकायत पर उन्हें एक दिन पुलिस अभिरक्षा में भी रहना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया कि उसने बाल आयोग और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में स्कूल प्रशासन की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा स्कूल प्रशासन ने छात्रा को न तो प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल किया और ना ही उसे प्रायोगिक परीक्षा में शामिल कर रहे हैं। प्री-बोर्ड परीक्षा के 25 फीसदी अंकों को ग्रेडिंग देने में शामिल किया जाता है। अब उसे कक्षा में भी नहीं बैठने दिया जा रहा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों व स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

रिजिजू ने भारी आपत्ति जताई सुप्रीम....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारित कर दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में उक्त नैशनल जुडिशियल अपॉइन्टमैंट एक्ट रद्द कर दिया था।

इस पूरे मुद्दे ने उस समय एक नया आयाम ग्रहण कर लिया, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुद्ध रूप से सरकार के वकील की भूमिका निभाते हुये, इस लड़ाई में कूद पड़े। और उन्होंने एक प्रकार से "भारतीय संविधान के मूलभूत ढाँचे" के उस सिद्धान्त पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जो देश के न्यायशास्त्र की मार्गदर्शक भावभूमि के रूप में काम करता आ रहा है।

रिजीजू ने आज कहा कि वे "उचित समय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे", लेकिन उन्होंने अपना दृष्टिकोण तो स्पष्ट कर ही दिया।

कानून मंत्री ने पत्रकारों को बताया, "रॉ तथा आई.बी. की गोपनीय तथा संवेदनशील रिपोर्टों को सार्वजनिक कर देना घोर चिन्ता का विषय है, जिस पर मैं उचित समय पर अपनी प्रतिक्रिया दूँगा। आज का दिन (इसके लिये) उचित समय नहीं है।"

रिजीजू ने कहा, अगर संबंधित अधिकारी जो किसी संवेदनशील स्थान पर वेश बदल कर देश के लिए काम कर रहा है तो अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले वह दो बार सोचेगा क्योंकि ऐसा करने के गंभीर नतीजे हो सकते है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चीफ जस्टिस से इस बारे में बात करेंगे तो उन्होंने कहा सी.जे.आई. से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है। वे न्यायपालिका के प्रमुख है और ये सरकार व न्यायपालिका के बीच पुल का काम करते है। हमें साथ शामिल कर काम करना है। हम अलग-अलग काम नहीं कर सकते। यह एक विवादास्पद मसला जिस पर किसी और दिन बात करेंगे।

19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन पत्रों को सार्वजनिक कर दिया जिसमें तीन जजों की पदोन्नति पर सरकार की आपत्ति का विरोध किया गया था। इन तीन प्रत्याशियों में से एक वकील है जिसने अपने समलैंगिक होने की घोषणा की थी।

इस रहस्योद्घाटन से सुरक्षा संस्थापन में बेचैनी देखी गई क्योंकि यह परम्परा रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिनकी नियुक्ति की जानी होती है उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और गुप्तचर एजेंसियां इस रिपोर्ट को गुप्त रखती हैं।

सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह अप्रत्याशित कदम उठाने से पहले चार दिन तक चर्चा की गई और इसके फायदे नुकसान को परखा था।

जजों की नियुक्ति पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कटु तकरार का यह नवीनतम चरण है।

सरकार जजों की नियुक्ति में महती भूमिका चाहती है जो कि वर्ष 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम का विशेषाधिकार बन गया है। कोलीजियम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों का एक पैनल है।

सरकार का तर्क है कि व्यवस्थापिका सर्वोच्च है क्योंकि यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच संविधान को लेकर भी विवाद चलता रहता है कि इसके किस भाग को संसद बदल सकती है या फिर जजों की नियुक्ति के सिस्टम के लिए क्या बदलाव कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलीजियम सिस्टम देश का कानून है जिसका पूर्णतया पालन किया जाना चाहिए।

रिजीजू अक्सर जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने की बात करती है। कल ही उन्होंने कहा था कि जजों को चुनाव लड़ने या जनता का सामना करने की जरूरत नहीं है। कानून मंत्री ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि, लोग आपको देख रहे है और जज कर रहे है। आपके फैसले, काम करने का तरीका, आप कैसे न्याय करते है लोग देख सकते है और राय बना सकते हैं।"

लखनऊ में तीन मंजिला इमारत ढही, तीन लोगों की मौत

- राहत एवं बचाव कार्य जारी, मलबे में 30 से 40 लोगों की फंसे होने की आशंका।

लखनऊ, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीर हसन इलाके में एक तीन मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो गयी है। मलबे के नीचे 30-40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस औऱ फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लखनऊ डी.एम. सूर्य पाल गंगवार ने मीडिया को जानकारी दी है कि 9 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। एन.डी.आर.एफ., दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल पर पहुंचे पाठक ने कहा, इमारत अचानक ढह गई। 3 शव मिले हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। एन.डी.आर.एफ., दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं, बचाव अभियान जारी है। उन्होंने जानकारी दी है कि 9 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। वे बेहोश थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग में 30-35 परिवार रह रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लिया है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908